- **समग्र पोर्ट विकास को बढ़ावा देने के लिए लोकसभा में आज भारतीय बंदरगाह विधेयक, दो हजार पच्चीस पेश किया गया।**
- **द्वीपों के सांसद बिष्णु पद रे ने तीन ग्राम पंचायतों को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया।**
- **द्वीपसमूह में सर्विकल कैंसर जांच कार्यक्रम की औपचारिक शुरूआत।**
- **नई दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय युवा संसद में अंडमान लॉ कॉलेज की तीन छात्राएं द्वीपसमूह का प्रतिनिधित्व करेंगी।**

<><><><><><><>

भारतीय बंदरगाह विधेयक, दो हजार पच्चीस आज लोकसभा में पेश किया गया। यह कानून पोर्ट्स से संबंधित नियमों को एकत्रित करने, समग्र पोर्ट विकास को बढ़ावा देने, व्यापार करने में सहूलियत प्रदान करने और भारत के समुद्र तट का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह विधेयक राज्य समुद्री बोर्डों की स्थापना और सशक्तिकरण का भी प्रावधान करता है। प्रमुख पोर्ट्स के अलावा अन्य पोर्ट्स का प्रभावी प्रबंधन किया जा सके, साथ ही समुद्री राज्य विकास परिषद की स्थापना की जाएगी, ताकि पोर्ट क्षेत्र का संरचित विकास और प्रगति हो सके। यह विधेयक पोर्ट्स पर प्रदूषण, आपातकाल, सुरक्षा, नेविगेशन और डेटा प्रबंधन के लिए प्रावधान करता है। बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सरबानंद सोनोवाल ने कहा कि यह विधेयक पोर्ट संबंधित विवादों के निपटारे के लिए निर्णय तंत्र प्रदान करता है।

<><><><><><><>

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि इस वर्ष एक मार्च तक आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आठ करोड़ नौ लाख से अधिक अस्पतालों में भर्ती होने की अनुमति दी गई है। श्री नड्डा ने लोकसभा में एक उत्तर में कहा कि आशा कार्यकर्ताओं के लिए अब तक दस लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए चौदह लाख से अधिक कार्ड बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत तेरह हजार आठ सौ छियासठ निजी अस्पतालों और सत्रह हजार इक्यानब्बे सार्वजनिक अस्पतालों सहित कुल तीस हजार नौ सौ सतावन अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। श्री नड्डा ने बताया कि वर्ष दो हजार चौबीस–पच्चीस के लिए आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत चौंतीस हजार नौ सौ चौवन करोड़ रुपये के दो करोड़ इक्कीस लाख से अधिक अस्पताल में भर्ती होने की अनुमति दी गई है।

<><><><><><><>

द्वीपसमूह के सांसद बिष्णु पद रे ने तीन ग्राम पंचायतों को आदर्श गांवों में बदलने के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया है। इनमें दक्षिण अंडमान जिले की कोलिनपुर ग्राम पंचायत, मध्योत्तर अंडमान ज़िले की शिबपुर ग्राम पंचायत, और निकोबार जिले का अरोंग गांव शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य गांवों का समग्र विकास सुनिश्चित करना और इनके निवासियों के लिए बेहतर जीवनशैली प्रदान करना है। सांसद ने कहा कि इस पहल के माध्यम से, आवश्यक सेवाओं में सुधार करना, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना और आत्मनिर्भर मॉडल गांव बनाना है, जो पूरे द्वीपसमूह के विकास को प्रेरित करेंगी।

<><><><><><><>

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से गाराचरमा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सर्विकल कैंसर जांच कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की गई है। इस पहल का उद्देश्य द्वीपसमूह में महिलाओं में सर्विकल कैंसर का शीघ्र पता लगाना और रोकथाम को बढ़ाना है। इस अवसर पर स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ. सुजा एंटनी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी। उन्होंने सर्विकल कैंसर को कम करने के लिए नियमित जांच और शीघ्र पता लगाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। नोडल अधिकारी डॉ. शाइनी वर्गीस ने सर्विकल कैंसर जांच के महत्व और महिलाओं के स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डाला। परिवार कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉ. एच. एम. सिद्धाराजू ने महिलाओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जांच कार्यक्रमों को मजबूत बनाने पर जानकारी साझा की। मेडिकल टीम ने पांच महिलाओं के लिए कैंसर की जांच कर द्वीपसमूह में इस पहल की शुरूआत की।

<><><><><><><>

कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अंडमान निकोबार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक टी एस शिवागननम ने श्री विजयपुरम स्थित कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच का दौरा किया। इस अवसर पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के ज़ोनल न्यायाधीश सब्यासाची भट्टाचार्य भी उपस्थित थे। दौरे के दौरान न्यायमूर्ति टी एस शिवागननम ने न्यायालय परिसर में वृक्षारोपण किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आने वाली पीढ़ी के लिए कानून की जानकारी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य कानून से जुड़ा हुआ है और उन्हें इस क्षेत्र में लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए, ताकि वे समाज में न्याय और अधिकारों की रक्षा कर सके। न्यायाधीश ने कहा कि द्वीपसमूह का सर्किट बेंच देश का ऐसा एकमात्र बेंच है, जिसमें दस वीसी चैम्बर स्थापित किए गए हैं।

इस अवसर पर ज़िला व सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार, न्यायाधीश दीपेन्द्र नाथ मिश्रा और न्यायाधीश अर्काब्रती नियोगी शामिल थे। इसके अलावा कानूनी विशेषज्ञ, न्यायपालिका के अधिकारी और अन्य गणमान्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए।

<><><><><><><>

श्री विजयपुरम में एक से ग्यारह अप्रैल तक सर्किट कोर्ट का आयोजन किया जाएगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा रे मामलों की सुनवाई करेंगे।

<><><><><><><>

नई दिल्ली में एक से तीन अप्रैल को होने वाली राष्ट्रीय स्तर की युवा संसद–दो हजार पच्चीस में अंडमान निकोबार का प्रतिनिधित्व करने के लिए तीन युवाओं का चयन किया गया है। श्री विजयपुरम स्थित सचिवालय में "भारतीय संविधान के पचहत्तर वर्ष– अधिकार–कर्तव्य और आगे की चुनौतियां" विषय पर राज्य स्तरीय वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें दस प्रतिभागियों ने अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए अपने विचार प्रस्तुत किए। चयनित प्रतिभागियों में अंडमान लॉ कॉलेज की छात्राओं कोमल प्रीत कौर, सायंतिका मिस्त्री और ईशा एबिंसन ने पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया।

<><><><><><><>

श्री विजयपुरम के जवाहर लाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में पांडिचेरी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के सेमेस्टर परीक्षा मई में आयोजित होने की संभावना है। विद्यार्थी, जिनके पेपर बकाया हैं, उनसे एक से ग्यारह अप्रैल तक कॉलेज के परीक्षा अनुभाग में इन परीक्षाओं के लिए पंजीकरण कराने को कहा गया है।

<><><><><><><>